न्यायलय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 205/2022

निर्णय दिनांक:[illegible].2022

गोपालराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।
2. प्रभूराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. बींजाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ता 3
3. पैरोकाराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 128 तादादी 2.2960 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 129 तादादी 2.3900 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 194 तादादी 5.8600 हैक्टेयर बारानी 0.1200 गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 197 तादादी 6.4500 हैक्टेयर बारानी 0.1000 गै.मु रास्ता, खसरा नम्बर 198 तादादी 6.6800 हैक्टेयर कुल खसरा 5 तादादी 24.3400 हैक्टेयर रोही खिंयाणी बास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 3/8 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का 3/8 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 3/8 हिस्सा भूमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का हिस्से अनुसार कब्जा, उपयोग व उपभोग व काश्त चली आ रही है। प्रार्थी का नाम गोपालराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रिड़ी है तथा प्रार्थी का जन्म से ही गोपालराम नाम है व इसी नाम से प्रार्थी का राशन–कार्ड में नाम अंकित है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, आधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत रीड़ी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र मे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोपालराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान मित्रगण सभी जगह गोपालराम के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। यह है कि वादगत खेतो के अलाव प्रार्थी के दो अन्य खेत खसरा नम्बर 368 तादादी 4.5000 हैक्टेयर रोही ग्राम खियाणी बास व खसरा नम्बर 1696/1510 तादादी 2.3000 हैक्टेयर रोही ग्राम रीड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर मे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोपालराम अंकित है। लेकिन पटवारी हल्का [illegible] करने समय सही नाम बताने के बावजूद भी प्रार्थी का नाम गोपालराम [illegible] गलत नाम गोपीराम अंकित कर दिया। वादगत खसरा भुमि मे प्रार्थी का 3/8 हिस्से पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी [illegible] भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम गोपालराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम गोपीराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टयूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वादगत खेतो मे सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाये गये है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

Divya

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 18.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम गोपालराम है मेरा नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से गोपीराम अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम गोपालराम अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 1 ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भुमि ग्राम खिंयाणी बास तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 128 तादादी 2.2960 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 129 तादादी 2.3900 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 194 तादादी 5.8600 हैक्टेयर बारानी 0.1200 गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 197 तादादी 6.4500 हैक्टेयर बारानी 0.1000 गै.मु रास्ता, खसरा नम्बर 198 तादादी 6.6800 हैक्टेयर रोही खिंयाणी बास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम गोपीराम अंकित हुआ है उसकी जगह गोपालराम पुत्र पन्नाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी सख्या 1 को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी सख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 जरिये अधिक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकाराराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 एवं अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 128 तादादी 2.2960 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 129 तादादी 2.3900 हैक्टेयर बारानी, खसरा नम्बर 194 तादादी 5.8600 हैक्टेयर बारानी 0.1200 गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 197 तादादी 6.4500 हैक्टेयर बारानी 0.1000 गै.मु रास्ता, खसरा नम्बर 198 तादादी 6.6800 हैक्टेयर रोही खिंयाणी बास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम गोपीराम अंकित हुआ है के स्थान पर शुद्ध नाम गोपालराम पुत्र पन्नाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:26 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ